मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग
(विन्ध्याचल भवन, द्वितीय तल)

क्रमांक एक (6)23/01/अडतालीस, भोपाल दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल ।

विषयः—माननीय विधायकों को गृह निर्माण अथवा क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान ।

इस विभाग के उपर्युक्त विषयक समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

(1) बारहवीं विधान सभा के माननीय विधायकों को आवास क्रय/निर्माण के अतिरिक्त आवासीय भू—खण्ड क्रय करने पर भी शासन से ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक ऑप इंदौर के अतिरिक्त अन्य बैंकों से भी आवास निर्माण/क्रय तथा आवासीय भू—खण्ड क्रय करने हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा, उस सीमा तक उपलब्ध होगी, जिस सीमा तक उक्त दो बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर उपलब्ध होती है ।

मध्यप्रेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/
(नीरज दुबे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग

पृ. क्रमांक (6)23/01/अडतालीस, भोपाल दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि :—

(1) प्रमुखसचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग/सामान्य विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

(2) मुख्य महा—प्रबन्धक, समस्त बैक, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित । कृपया अधीनस्थ शाखाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग